

## अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/पूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

फक्त खिडकी केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

अवेदन क्रमांक 390 दिनांक 02/12/2020

उपरोक्त अश्विन कुमार एवं रीकम काम

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 12216/- जमा


जरिये रसीद संख्या 2069/3655, 3656

दिनांक 02/12/2020 को जमा करा दी है ।

3/12/2020

सहायक नगर नियोजक

नगर निगम, जोधपुर

  
Rekam Kam  
Date 3/12/2020

जी+1  
आवासीय

P.No = 18 ई / 302 चौपालनी  
डाक सिंग बोर्ड